बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या :– 4 / वनभूमि–212 / 2025........................ / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक............................

Reliance BP Mobility द्वारा अररिया जिलान्तर्गत इन्द्रपुर मौजा के खाता संख्या–165, खेसरा संख्या–880(पु.), थाना संख्या–69, पोस्ट–रानीगंज में SH-77 सरसी–रानीगंज पथ के किनारे Reliance BP Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (सरंक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0225 हे० वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (वन संरक्षण संभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–FP/BR/PetrolPump/542795/2025, दिनांक–05.02.2026 द्वारा सशर्त्त सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गयी है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक–FC-237 दिनांक–05.03.2026 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज–1) में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के उपरांत विभागीय पत्रांक–1711, दिनांक–24.03.2026 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के स्तर से अंतिम स्वीकृति दिये जाने हेतु विभागीय सहमति दी गयी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (वन संरक्षण संभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–FP/BR/PetrolPump/542795/2025, दिनांक–02.04.2026 द्वारा उपरोक्त के आलोक में पहुँच पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन), अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.0225 हे० वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति (Stage-II) निम्नलिखित शर्त्तों के साथ प्रदान की गयी है:–

S.No.	Conditions
1.1	"Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged"
1.2	Compensatory afforestation : The State Forest Department shall plant 100 numbers of trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably in the vicinity of the project site. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
1.3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
1.4	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake by involving local community, afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the concerned DFO at the project cost.
1.5	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways and communicated vide Ministry's letter No.11-268/2014-FC dated-11.07.2014:- (a) Fuel station should generally be a part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms, shops etc. Proper planning should be done by the user agency, in advance, for construction of such complex along the highways so that destruction of road side forest is minimized. (b) Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations. (c) Entire periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the functional space requirement. (d) Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator Island and other vacant areas in addition to the compensatory afforestation required to be raised as per guidelines.

1.6	The layout plan of the proposed diversion of the forest land shall not be changed without the prior approval of Ministry/Deptt. of Environment, Forest & Climate Change.
1.7	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.
1.8	The diverted forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
1.9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the existence of the petroleum Retail Outlet and requirement of land for access road.
1.10	The diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Ministry/Deptt. of Environment, Forest & Climate Change.
1.11	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.
1.12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in Comprehensive Guidelines issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and rules framed thereunder.
1.13	Any other condition that the Ministry/Deptt. of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forest & wildlife.

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के S.O. 5074(E) दिनांक–29.11.2023 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (वन संरक्षण संभाग), बिहार, पटना के पत्रांक– FP/BR/PetrolPump/542795/2025, दिनांक–02.04.2026 द्वारा प्रदत्त अनुमति में निहित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति आदेश को समेकित रूप से स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति आदेश की एक प्रति को स्थानीय निकाय के प्रधान कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के लिए प्रदर्शनार्थ, निकाय प्रधान को सौंपना होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया उक्त वर्णित 0.0225 हे० वन भूमि पर रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु प्रयोक्ता को अनुमति संसूचित करते हुए इसे अभिलेख में दर्ज करेंगे तथा इसका सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन सरकार एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त अंकित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में या गैर वानिकी उपयोग होने वाली वन भूमि पर इस अनुमति से निहित प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य गैर वानिकी कार्य किए जाने की स्थिति में बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह अधिकार होगा कि वन भूमि पर किए जाने वाले अन्य गैर वानिकी कार्य को तत्काल बंद कराते हुए तत्संगत अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई के उपरांत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की यह अनुमति रद्द करते हुए/वापस लेते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करें।

ह0/–
(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 4/वनभूमि–212/2025 2111 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 16/4/26

प्रतिलिपि :– सहायक वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, FC डिविजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची–834002/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, अररिया/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया को बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) प्रेषित।

श्री विकास कुमार, M/S Reliance BP Mobility Ltd., प्लॉट संख्या–210 एवं 233, दुधेश्वरनाथ कॉम्प्लेक्स, बेली पथ, रूपसपुर, पटना को सूचनार्थ तथा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित सहायक, गार्ड फाईल में संधारण/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

16.4.2026

(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव।